भागवत कथा - 10

उर्मिला देवी, श्वेता (B.com.) और प्रियंका (12th)

यह एक और प्रकरण है भागवत का, जिसमें महाराजगंज जिले (यू.पी.) की उर्मिला देवी अपने पति राजेंद्र प्रसाद जयसवाल के अत्याचारों **की** श्रृंखलाओं को तोड़कर, **बजती हुई** ज्ञान-मुरलियों की धुन पकड़ कर, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, फ़र्रुखाबाद की ओर भाग निकली| यही हालत **रही** उनकी बेटियों की भी। सच्चाई **का** साथ देने में पीछे नहीं हटी कुमारी श्वेता और कुमारी प्रियंका **।**

Bhagawat Story-10

Urmila Devi, Sweta and Priyanka:

This episode again of Bhagawat is about Urmila Devi of district Mahrajganj, U.P, running away from home behind the tunes of Murali towards Farrukhabad breaking away the cuffs of tortures and harassment tightened by her husband Rajendra Prasad Jaiswal. The situation of her daughters is not different that of her. Miss Sweta and Miss Priyanka did not step back in supporting the Truth.

उर्मिला देवी व दोनों बेटियों को पति/पिता राजेन्द्र शराब पीकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और उनकी नृशंसता इस हद तक पहुँची कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को किसी अनजान व्यक्ति को धन अर्जित करने की लालसा से बेचने का सौदा भी कर लिया। अब माँ ने तय कर लिया कि वह अपनी बेटियों को अपने पति राजेंद्र **की** हरकतों से बचाकर ही रहेगी। वह जान चुकी थी कि इस दुनियाँ में अगर कोई है उनकी बेटियों को असुरों से बचाने वाला, तो वह एक **शिवबाबा** ही हो सकता है। अंतत: अपने पिता की जंजीरों को तोड़कर दोनों बेटियाँ- श्वेता और प्रियंका अपनी माँ का हाथ पकड़ कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में समर्पित हो गई। आजीवन पवित्र रहने की अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए श्वेता और प्रियंका ने दिनांक 20-09-2010 और 25-09-2010 को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अपनी माँ की गवाही में शपथ पत्र सौंपा। केवल शक ही नहीं था, बल्कि वे जानती थीं कि उनके पिता चुप नहीं बैठेंगे। इसी कारण उन्होंने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार से तन-मन से जुड़ने से पहले ही अपने पिता और रिश्तेदारों की हरकतों से बचने के लिए पुलिस से रक्षा की माँग करते हुए कोल्हुई थाने में ता.14-09-2010 को एक विनती पत्र **दाखिल** कर दिया था। समर्पित होने से पहले ही दोनों बहनों ने ता.20-09-2010 को फ़तेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक से भी पुलिस रक्षण के लिए **अपनी** माँग रखी थी।

Rajendra, husband of Urmila Devi used to harass his wife and daughters physically as well mentally and his cruelties have reached to the extent that has entered into a deal to sell his daughters to some unknown persons against ransom. Now the mother has decided; to save her daughters from the clutches of

harassment caused by her husband Rajendra Prasad Jaiswal . She came to understand; if at all there is anybody to rescue her and her daughters from the demons, it is only Shiv Baba and none else. In result, the two daughters Sweta and Priyanka reached Farrukhabad in hand with their mother and surrendered themselves in the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya for the sake of Godly Service. They have executed a stamped affidavit of surrender on 20-09-2010 and 25-09-2010 respectively in the "AVV" expressing their wish to remain in and maintain purity for lifelong. The mother of the girls stood witness. Not limited to doubting, they know well that their father does not remain silent. That's why well before joining themselves with the "AVV family" , they have addressed a letter to the Police Station, Kolhui on 14-09-2010 requesting for providing protection from harassment of their father and other relatives. They have made a similar submission before the S.P, Fategarh on 20-09-2010 requesting for Police Protection well before their surrendering themselves for the cause of Godly Service.

अब दोनों कन्याओं के ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होने के बाद उर्मिला माता की मुश्किलें और भी बढ़ गईं, सहन करते-2 ऐसी स्थिति आ गई कि पति राजेंद्र प्रसाद जयसवाल की **नृशंसता** ने हदों को पार कर दिया, अत: उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था, सिवाय रक्षा देने वाले एकमात्र शिवबाबा के । उर्मिला माता अपने पति के घर को छोड़ अपने पुत्र निखिल को साथ लेकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, **लखनऊ** में तत्काल शरण के लिए **पहुँच गईं**। अपने पति से आने वाले खतरे की संभावना को देखते हुए, उर्मिला माता ने दिनांक 16-03-2011 को अपनी रक्षा की माँग को लेकर **लखनऊ** के **हाई** कोर्ट बेंच के सामने एक अर्ज़ी भी दाखिल कर दी । अब उनका पति चुप तो बैठेगा नहीं ।

After the surrender of her daughters, the atrocious, cruel and callous behavior of her husband Rajendra Prasad Jaiswal crossed the human limits of bearability and Urmila Devi was left with no alternate rescue except Shiv Baba. Inevitably, she had to take temporary shelter with the AVV Family along with her younger child Nikhil at Lucknow on 21-02-2011. In her anxiety and helplessness and the expected risks from her husband, she has addressed a request letter to the High Court, Lucknow Bench on 16-03-2011 requesting therein for arranging protection from her husband. Now her husband would not keep quiet.

कन्याओं के पिता राजेंद्र प्रसाद जयसवाल को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार पर वार करने के लिए **8 महीनों तक** कोई सहयोगी नहीं मिल रहे थे। जैसे ही शरारती तत्वों ने कन्याओं के पिता राजेंद्र की योजना पर हाथ बँटाया और आर्थिक सहयोग दिया, उन्होंने महाराजगंज की जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने अपने ससुर, अपने 3 साले व आध्यात्मिक परिवार के ऊपर अपनी बेटियों के अपहरण का आरोप लगाते हुए **ता.** 01-06-2011 **को** कम्प्लेंट केस दाखिल किया। राजेंद्र ने आरोप लगाया कि

अनैतिक कार्यों के लिए और जान से मार डालने के इरादे से उनकी पत्नी और बेटियों का अपहरण उसके ससुर, 3 साले व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुखियाओं ने दिनांक 23-12-2007 को कर लिया है। षड़यंत्रकारियों ने सोचा कि जितनी पुरानी तारीख डालेंगे उतनी कड़ी सज़ा दिला सकते हैं।

The father of the girls Rajendra Prasad Jaiswal could not get any helper to implicate the "AVV family" until 8 months. When he could gather the help of some miscreants with support of financial assistance, he has lodged a petition before the Judicial Magistrate, District Maharajganj, U.P on 01-06-2011 against "AVV family" members. The complaint flows in the same lines; her wife and daughters were kidnapped for illegitimate deeds by father-in-law, three brothers of Urmila Devi and the leaders of Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya with an intention to kill them; the date of kidnap was mentioned to be 23-12-2007, which dates back three and half years prior to the date of the petition. He thought that a maximum possible punishment can be imposed by mentioning a date much before.

महाराजगंज के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश कोल्हुई थाना प्रभारी को दिए और उक्त निर्देशों का पालन करते हुए कोल्हुई थाने में ता.05-06-2011 को एक एफ.आई.आर. (केस क्राइम नंबर 881/2011) दस अभियुक्तों के विरुद्ध रजिस्टर कर दिया, जिनमें पहला नाम- परमात्मा प्रसाद मिश्रा, जो सारे ईश्वरीय परिवार का गुरु बताया गया और पीछे-2 वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला देवी दीक्षित और अन्य 7 में राजेंद्र के ससुरजी, 3 साले व ईश्वरीय परिवार के अन्य सदस्य थे। आखिरीन परमात्मा के नाम को पहला **मुजरिम** बनाते हुए भा.दं.सं. की धाराएँ 419, 420, 364, 342, 504, 506 और 120 बी लागू की गईं, जो कि हत्या करने के इरादे से किडनेपिंग, धोखाधड़ी, अवैध कस्टडी व जान से मारने की धमकी देने के संदर्भ में लागू की जाती हैं। वास्तविकता तो यह थी कि परमात्मा प्रसाद मिश्रा नाम का कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में था ही नहीं। सिर्फ जैसे-तैसे दबाव बनाकर अपनी बेटियों को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से वापिस लेने के लिए झूठी व मनगढ़त कहानी रची गई थी।

Seeing the seriousness of the allegations, the Judicial Magistrate of Maharajganj, has passed an order on the Station House Officer, Kolhui Police Station to register an F.I.R and in obeisance of the order of the Judicial Magistrate, an F.I.R has been registered at Kolhui Police station on 05-06-2011 under crime No. 881/2011 against 10 said to be culprits; the top most being Paramatma Prasad Mishra who was stated to be the Guru of the entire Ishwariya Family. The other names include Spiritual Brother Virendra Deo Dixit, Kamla Devi Dixit followed by 7 other spiritual family members. Among the seven are; the father in law of Rajendra, three brothers of Urmila Devi and other members. Finally, mentioning the name of Paramatma (Supreme God Father) as the first culprit the "AVV family" members were charged under sections 419,420,364,

342 , 504, 506 and 120 B of Crpc. which are charged in the cases of kidnap, cheating, illegal custody and threatening to kill . The fact is that no one by name Paramatma Prasad Mishra exists in Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya at all. A story of lies bundled has been created to get back her daughters from Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya.

समय के अभाव में और स्थल को ध्यान में रखते हुए इस केस से सम्बंधित मीडिया वालों की अंश मात्र वार्ताएँ ही बता पाएँगे।

06-05-11	अमर उजाला	कोर्ट ने आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कंपिल के कथित तांत्रिक परमात्मा प्रसाद मिश्रा समेत दस लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है ।
10-09-11	दैनिक जागरण	ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कैद हैं माँ-बेटियाँ। राजेंद्र जयसवाल की पत्नी और दो बेटियाँ वर्ष 2007 से फ़र्रुखाबाद स्थित आश्रम में कैद हैं।
11-09-11	दैनिक जागरण	महाराजगंज की माँ-बेटी आश्रम में नहीं मिलीं।

Only a few items of the news published by the News media are appended for the sake of brevity and to save time.

Amar Ujala 05-06-11

The court has ordered to file an F.I.R against 10 members of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Kampil along with the said witchcraft Paramatma Prasad Mishra.

Dainik Jagaran 10-09-11

The mother and daughters are jailed in Ishwariya Vishwa Vidyalaya. The wife and daughters of Rajendra Prasad Jaiswal stand jailed in the Farrukhabad Ashram since 2007.

Dainik Jagaran 11-09-11

The mother and daughters not available in the Ashram.

उर्मिला माता, श्वेता और प्रियंका ने ईश्वरीय परिवार व अपने भाइयों के बचाव के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटिशन (नंबर 12326 / 2011) दाखिल की, जिसमें कोर्ट के सामने यह स्पष्ट किया गया कि वे राजेंद्र प्रसाद जयसवाल **द्वारा** दी जा रही कठोर यातनाओं को न सह पाने और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अटूट निश्चय होने के कारण घर छोड़ आध्यात्मिक विद्यालय में रहने लगीं।

Urmila Devi, Sweta and Priyanka have filed a criminal writ petition in the Allahabad High Court in support and rescue of "AVV family" and the brothers of Urmila Devi; wherein they have made it clear that they preferred to stay at the "Adhyatmik Vidfyalaya inability to bear the cruel harassment resorted to by Rajendra Prasad Jaiswal and by virtue of their undeterred faith in the Adhyatmik Vidfyalaya and to acquire the true spiritual knowledge.

खुद केस की पीड़िता हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद फ़ेक्ट्स और आरोपों को जाँच करने के लिए हाई कोर्ट को अधिकार न होने का मिथ्या कारण बताते हुए, इलाहाबाद **हाई** कोर्ट ने ता.11-07-2011 को उक्त रिट पिटिशन को मनमानी तरीके से **ठुकरा** दिया।

Despite the presence of the victims themselves before the High Court, the High Court of Allahabad disallowed the criminal petition on 11-07-2011 mainly on the ground that the writ court is not competent to go into questions of facts and on the allegations.

अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना ही पड़ा।

Now this case had to travel to Supreme Court.

हमें अभी यही उचित लग रहा है कि **सीधा** इन क्रिमिनल अपील्स (नं. 1329 और 1330/2012) के संबंध में ता.12-03-2015 के सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स के कुछ भाग यहाँ प्रस्तुत करें ताकि सच्चाई खुद ही सर पर चढ़कर बोले।

At this stage, we prefer to place a few extracts of the order of Supreme Court dated 12-03-2015, in Criminal Appeal Nos. 1329 and 1330 of 2012, as are, so that the Truth can focus itself.

''सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया:

क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन :

क्रिमिनल अपील नं. 1329/2012

ऊर्मिला देवी और अन्य: *अपीलकर्ता*

प्रति

उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य *प्रतिवादी*

साथ में:

क्रिमिनल अपील नं. 1330/2012

Supreme Court of India

Criminal Appellate Jurisdiction

Criminal Appeal No. 1329/2012

Urmila Devi and Others Appellant

Vs

Uttar Pradesh State and Others Respondent

Along with

Criminal Appeal No. 1330/2012

आदेश :

अपीलकर्ता नं.1 (ऊर्मिला देवी) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा कि उन्होंने अपने पति (राजेंद्र प्रसाद जयसवाल) ***द्वारा*** *दी जा रही कठोर यातनाओं को सहन न कर पाने के कारण* ***अपनी*** *स्वेच्छा से घर छोड़ा था। अपीलकर्ताएँ 1 से 3 (ऊर्मिला देवी, श्वेता और प्रियंका) ने कोर्ट के सामने यह स्पष्ट किया था कि वे सन 2011 से विद्यालय में अपनी स्वेच्छा से रह रही हैं। जब उन्हें पूछा गया कि कहीं उनके ऊपर विद्यालय के कोई व्यक्ति ने दबाव बनाया या यातनाएँ दी थीं, तो उन्होंने इस बात के लिए साफ इन्कार किया और कहा कि वे विद्यालय में अपनी स्वेच्छा से राजी-खुशी रह* ***रही*** *हैं।*

Order:

"Appellant No.1 (Urmila Devi) stated before Supreme court that she has left the matrimonial home on her own volition on account of harassment and torture meted out to her by her husband (Rajendra Prasad Jaiswal) . The appellants 1 to 3 (Urmila, Sweta and Priyanka) have made it before the Supreme Court very clear that they have been residing in Vidyalaya right from 2011 on their own volition. To the query as to whether they are under any pressure from any person from the Vidyalaya, or any kind of torture or harassment in inflicted on them, they categorically refuted the same and submitted that they are living at the Vidyalaya happily.

अपीलकर्ताएँ 2 और 3 (श्वेता और प्रियंका) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने बयान में कहा कि वे दोनों अपनी माता के साथ अपनी ***स्वेच्छा*** *से राजी-खुशी विद्यालय में रह रही हैं, प्रतिवादी नं. 4 (राजेंद्र प्रसाद जयसवाल) द्वारा थोपा गया अपहरण वगैरह का आरोप अस्वीकार्य है और न्यायपूर्वक नहीं है।*

The appellants 2 and 3 (Sweta and Priyanka) have stated in their statement before the Supreme Court that they have been residing in Vidyalaya along with their mother on their own volition and that the allegations, kidnap etc., framed by respondent No.4 (Rajendra Prasad Jaiswal) are not acceptable and illegal.

हमारे उद्देश्य में उपर्युक्त बताए गए कारणों से कार्यवाही को रद्द करने का हाई कोर्ट का निर्णय सही नहीं है।

Therefore in our considered view the High Court is not right in quashing the proceedings for the reasons stated supra.

उपर्युक्त को देखते हुए, हम अपील्स को अलाउ कर रहे हैं; अतः अपीलकर्ताओं प्रति की गई कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

जस्टिसः वि. गोपाल गौडा

मार्च 12, 2015 *जस्टिसः सी. नागप्पन ''*

इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं।

In view of above, we allow the appeals and consequently quash the proceedings against the appellants.

March 12 205 Justice V. Gopal Gowda

Some extracts of the judgment relating to this case are annexed.

मु० अ० सं० 081/011 धारा 419/420/364/342/504/506/120B IPC

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

मूल द्वितीय पुलिस प्रतिलिपि
न्यायालय/पार्टी/कार्यालय के लिए
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

कुल संख्या
पृष्ठ संख्या 0463936

थाना: कोतवाली
पद की नियुक्ति: ....
जिला: महराजगंज
संख्या: 70/011

घटना का दिनांक व समय: 23/1/07 10:30

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
5/6/011 15.30	मय ग्राम कस्बा पहपुरी व कोतवाली 9 Km	उक्त दिन

नोट - प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या निशानी लेना चाहिए और इसकी पुष्टि कार्यवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम और निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
1	2	3	4	5
श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व० रघुनाथ सा० पहपुरी थाना कोतवाली महराजगंज बनाम 1/ परमात्मा प्रसाद मिश्र पुत्र अज्ञात ... ग्राम व पोस्ट ... जिला ... 2/ ... 3/ कमला देवी ... 4/ कन्हैया ... पुत्र राम ... 5/ ... 6/ ... 7/ विजय कुमार पुत्र राम ... 8/ राम ... पुत्र ... 9/ ... पुत्र प्रहलाद ... 10/ प्रहलाद ...		धारा 419/420/364/342/504/506/120B IPC और, लड़की को बहला फुसला कर ... के नाम से ... किया है ...	...	दरोगा विनोद कुमार दूबे

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी। राजेन्द्र प्रसाद

हस्ताक्षर ....
पद ....
5/6/011

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी०एस०यू०पी० (या०) 1 पुलिस 3-10-07-65000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

[illegible] मुन्ना सिंह [illegible]

साधारण प्रमाण – न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible] जिला [illegible]
[illegible] 256/2011 स्टेट [illegible]
[illegible]
[illegible] ① [illegible]
[illegible] ② [illegible]
[illegible]
[illegible] ③ [illegible]
[illegible] ④ [illegible]
[illegible]
[illegible] ⑤ [illegible]
[illegible]
[illegible] ⑥ [illegible]
[illegible] ⑧ [illegible]
[illegible]
⑨ [illegible]
⑩ [illegible]
[illegible] धारा 156(3) [illegible]
[illegible] दिनांक 23.12.2007 [illegible] समय [illegible] 10.0
[illegible] अभियुक्त [illegible] 2 [illegible] 10 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] अभियुक्त [illegible] 2 व 10 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 80 वर्ष [illegible]
[illegible] 20 वर्ष [illegible]
[illegible] 18 वर्ष [illegible] 18 वर्ष [illegible]
[illegible] 12 वर्ष [illegible]
10 वर्ष [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

– [illegible]

[illegible]

[illegible] 16.6.2011 [illegible]

[illegible] 156(3) [illegible]

[illegible]

[illegible] 3/6/011

नोट – [illegible]

[illegible]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

.....

ANNEXURE NO. 1

IN

CRIMINAL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2011
(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT – MAHRAJGANJ

Urmila Devi & Others .....Petitioners

VERSUS

State of U.P. & Others .....Respondents

मु0अ0सं0–881/2011

अंतर्गत धारा– 419/ 420/ 364/ 392/ 504/ 506/ 120बी आई0पी0सी0

थाना– कोल्हुई

जिला– महराजगंज

घटना की दिनांक व समय– 23.12.07 समय 10.00 बजे

रिपोर्ट करने की दिनांक व समय– 5.6.11 समय 15.30 बजे

रिपोर्टकर्ता– श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 स्वामीनाथ सा0 वहपुरी थाना कोल्हुई महराजगंज

अभियुक्तगण–

1. परमात्मा प्रसाद मिश्र गुरू आध्यात्मीक ईश्वरीय विश्व विद्यालय ग्राम व पोस्ट कपिल जिला फरूखाबाद उ0प्र0
2. विरेन्द्र देव दीक्षित संचालक आध्यात्मिक ईश्वरी विश्व विद्यालय ग्राम पोस्ट कपिल जिला फर्रूखाबाद उ0प्र0
3. कमला देवी दीक्षित आध्यात्मिक ,, ,,
4. कन्हैया लाल पुत्र राम प्यारे सा0 अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया
5. लालजी पुत्र रामप्यारे सा0 ,, ,,
6. भोला पुत्र राम प्यारे सा0 ,, ,,
7. विजय कुमार पुत्र राम प्यारे सा0 ,, ,,
8. राम प्यारे पुत्र अज्ञात सा ,, ,,

9. कृष्णा पुत्र प्रहलाद मौर्य सा0 करवी थाना लोटन जिला सिद्धार्थनगर

10. प्रहलाद मौर्य पुत्र अज्ञात सा .. ..

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाइप शुदा

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट .... जिला महराजगंज तफतीश प्रा0पत्र संख्या 256/2011 स्टेट जरिये राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 स्व0 स्वामीनाथ निवासी ग्राम बहादुरी बाजार पोस्ट अमहा थाना कोल्हुई जिला महाराजगंज प्रार्थी बनाम (1) परमात्मा प्रसाद मिश्र गुरु आध्यात्मीक ईश्वरीय विश्व विद्यालय ग्राम व पोस्ट कम्पिल जिला फरूखाबाद उ0प्र0 (2) वीरेन्द्र देव दीक्षित संचालक आध्यात्मिक इश्वरी विश्व विद्यालय ग्राम पोस्ट कम्पिल जिला फरूखाबाद उ0प्र0 (3) कमला देवी दीक्षित संचालिका आध्यात्मिक इश्वरी विश्व विद्यालय ग्राम पोस्ट कम्पिल जिला फरूखाबाद उ0प्र0 (4) कन्हैया लाल पुत्र राम प्यारे निवासी ग्राम अवधपुर वनशप्ती बाजार, थाना गौरी नगर जिला देवरिया (5) लालजी पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया (6) भोला पुत्र राम प्यारे ग्राम अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया (7) विजय कुमार पुत्र राम प्यारे निवासी ग्राम अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया (8) कृष्णा पुत्र प्रहलाद मौर्य मिवासी ग्राम करवी थाना लोटन जिला सिद्धार्थ नगर (9) प्रहलाद मौर्य पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम करवी थाना लोटन जिला सिद्धार्थ नगर (10) राम प्यारे पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया अभियुक्तगण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) जा0फो0 उपरोक्त मुकदमा में निवेदन है कि घटना दिनांक 23.12. 2007 ई0 को समय करीब 10.00 बजे दिन का है प्रार्थी के घर पर अभियुक्त संख्या 2 लगायत 10 ने कम्पिल पर ग्राम। अभि० सं० 1 को लेकर आये और कहे कि यह यह बाबा परमात्मा प्रसाद मिश्र हम लोगों के गुरु है तथा सबके गुरु है। तुम लोग भी शिक्षा दीक्षा ले लो। प्रार्थी अभियुक्तगण 2 ता 10 के बातों पर विश्वास करके अपना व्यवसाय भाड़े हेतु समान लेकर फरेन्दा चला गया। कि इतने में अभियुक्तगण के प्रार्थी पत्नी उर्मिला

देवी को अपने साजिश को करने तथा कुचक रचना तथा षड़यन्त्र करके एक गण स्थिति दस्तावेज गलत शपथपत्र तैयार करवा कर सभी अभियुक्तगण मिलका एक दूसरे के साजिश होकर षड़यन्त्र करके प्रार्थी की पत्नी अर्मिला देवी कि उम्र लगभग 36 की तथा प्रार्थी की लड़की कुमारी रचेता उम्र लगभग 20 वर्ष तथा दूसरी लड़की प्रियंका जायसवाल उम्र लगभग 19 वर्ष तथा तीसरी लड़की नेहा उम्र लगभग 15 वर्ष तथा बबिता उम्र लगभग 12 वर्ष तथा मेरा पुत्र निखिल जायसवाल उम्र लगभग 10 वर्ष कि अपहरण करके हत्या करने की नियत से लेकर भाग गये। फरजी लिखा पढ़ी के बाद दो लड़की क्रमशः बबीता व नेहा तथा पुत्र निखिल को मेरे पास भेज दिएं आज तक अभियुक्तगण मेरी पत्नी व दो लड़की रचेता व प्रियंका को तान्त्रिक क्रिया करके रखे हुए है और गलत तरीके से अवरूद्ध किए हुए और उनका गलत तरीके से प्रयोग कर रहे है और इन्हें अवैध तरीके से निरोध किये हुए है तथा सम्पत्ति के लालच में इन्हें अवरूद्ध करने कार्य करवा रहे है और सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हे उकसा रहे है तथा इन्हें धमका रहे हैं तथा कार्य को ..... कर के गलत ढंग से सम्पत्ति अर्जित कर रहे है और उन्हें अपनी दासी बनाकर क्रियाएं करा रहे है तथा उनका खरीद फरोद करा रहे हैं तथा उनके शरीर का गलत प्रयोग कर रहे है तथा जान बूझ कर अवैध तरीके से संविधा करवा कर सुरक्षित होना चाहते हैं। और धोखाधडत्री करके बिना परेशानी के सम्पत्ति का लाभ अर्जित करना चाहते है और षड़यन्त्र करके अवैध ढंग से ज्ञान सुनाते हैं। प्रार्थी इस समय में अपनी पत्नी और बच्चों को प्राप्त करने हेतु फरूखाबाद उक्त आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय जो बिलकुल जाली व फर्जी है। महज इसका उद्देश्य धन अर्जित करना है वे तथा कथित गुरू अभियुक्त संख्या एक के द्वारा करवा रहा है। सभी अभियुक्त गण प्रार्थी को बेईज्जत करने के नियत से गन्दी-2 गालियां दिये। तथा जान से मारने की धमकी भी दिये और कहे कि तुम साले माधरचोट तुरन्त यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या करके तुम्हारे शरीर को इसी जमीन में गाड़ दिया जायेगा और तुम्हारे शरीर कर पता

भी नही चलेगा। प्रार्थी किसी तहर जान बचा कर भाग आया। घटना के दिन से ही रपट दर्ज कराने हेतु अथक प्रयास करता रहा तथा घटना के मुताबिक रपट दर्ज करने हेतु शासन प्रशासन व पुलिस विभाग तथा पुलिस अधीक्षक महाराजगंज व अन्य पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना जरिये रजिस्ट्री तथा इमेल से भेजी। लेकिन आज तक प्राथी की रिपोर्ट दर्ज नही हुई ना ही प्रार्थी के पत्नी व बच्चों की बरामदगी ही हुई। अभियुक्तगण मेरे पत्नी व मेरे बच्चों के उपर तांत्रिक क्रिया भी कर दिये हैं जिसकी पुष्टि रजिस्ट्री संस्थान पं0 बागेश्वरी पाठक द्वारा किया गया है। घटना के तमाम गवाह ये सब जानते हैं प्रार्थी का जीवन बर्बाद हो रहा है प्रार्थी इतने दिनों से अनावश्यक रूप से हैरान व परेशन हो रहा है तथा प्रार्थी का समाज में काफी मान व प्रतिष्ठा गिर गई है। अपराध संज्ञेय अपराध है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर अभियुक्तगण के खिलाफ उचित कार्यवाही करवाया जाना न्यायहित में है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इस प्रार्थना पत्र व शपथपत्र में दिये गये कथन के आधार पर थानाध्यक्ष कम्पिल को आदेशित किया जाना कि वह मुताबिक घटना संबंधित धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना नियमानुसार करे। प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 स्वामी नाथ निवासी ग्राम वहपुरी नगर थाना..... जिला महाराजगंज दि0 1.6.2011 ... श्रीमान आदेश प्रा0पत्र 156(3) उ0प्र0स0 स्वीकृत करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आदेश कि रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना में पाई पूर्व में रिपोर्ट दर्ज न होतो थानो द्वारा .... .जैसे ..... समय के आख्या प्रेषित की जाए। ..... अतः उचित कार्यवाही हेतु हस्ताक्षर अपठित

नोटः- मैं कां0 प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल चिक पर शब्द व शब्द अंकित की गई है।

हस्ताक्षर अपठित

:: सत्य प्रतिलिपि ::

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

170070

CRIMINAL APPEAL NO(S).1329 OF 2012

URMILA DEVI & ORS. ... APPELLANT(S)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ....RESPONDENT(S)

WITH
CRIMINAL APPEAL NO. 1330 OF 2012

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
.....2015
SUPREME COURT OF INDIA

O R D E R

Appellant No. 1 is the wife of complainant and appellant nos. 2 and 3 are the daughters of the complainant, who are present before this Court. Appellant No. 4 is the Spiritual Father of Aadhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya, New Delhi, for short 'the Vidyalaya' and the appellant no.5 is the Spiritual Mother of the Vidyalaya.

The appellants aggrieved of the judgment and order dated 11.07.2011 passed in Criminal Writ Petition No.12326 of 2011 by the High Court of Judicature at Allahabad, whereby it declined to quash the proceedings initiated against them by

respondent No. 4 herein by filing first information report in Crime No.881 of 2011 registered at Police Station Kolhui, District Maharajganj, alleging that the offences under Sections 419, 420, 364, 392, 504, 506 and 120B of the Indian Penal Code, for short 'the Code', have been committed by them, are before this Court. The allegations made in the complaint by the husband of appellant no. 1 is self explanatory.

The appellant nos. 1 to 3 are present in person before this Court.

Since appellant nos. 1 to 3 understand Hindi language only, questions put to them were translated in Hindi by the Court Master. On being asked as to why she left the matrimonial home of her husband along with appellant nos. 2 and 3, the appellant no. 1 submitted that she has left the matrimonial home on her own volition on account of harassment and torture meted out to her by her husband, respondent no. 4 herein. On our query to the appellant nos. 1 to 3 as to whether they are residing in the Vidyalaya on their own volition and desire, they have made it very clear that they have been residing in the Vidyalaya right from the year 2011 on their own own volition. To the query as to whether they

are under any pressure from any person from the Vidyalaya or any kind of torture or harassment is inflicted on them, they categorically refuted the same and submitted that they are living at the Vidyalaya happily.

It is very fairly submitted by learned counsel appearing for the State that appellant nos. 2 and 3 are major.

Learned counsel for respondent no. 4 submitted that appellant no. 1 has filed a notorised affidavit stating that they are residing on their own volition and, therefore, the petition for maintenance by appellant no. 1 against respondent no. 4 under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, before the jurisdiction magistrate is not maintainable. We need not delve into this question in the instant appeals for the simple reason that the marriage between appellant no. 1 and respondent no. 4 still subsists and, therefore, appellant no. 1 is at liberty to file an application for maintenance. The concerned jurisdictional magistrate is required to adjudicate the same in accordance with law and on its own merits.

Since appellant nos. 2 and 3 have made

categorical statement before this Court that they are residing happily with their mother, appellant no. 1, in the Vidyalaya, at their own volition and desire, the question of their alleged kidnapping and other offences mentioned in the complaint lodged by respondent no. 4 is wholly untenable and unsustainable in law. Therefore, in our considered view, the High Court was not right in quashing the proceedings for the reasons stated supra.

In view of the above, we allow the appeals and consequently quash the proceedings against the appellants.

.....J.
(V. GOPALA GOWDA)

.....J.
(C. NAGAPPAN)

NEW DELHI,
MARCH 12, 2015

ITEM NO.4 COURT NO.10 SECTION II

170071

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Criminal Appeal No(s). 1329/2012

URMILA DEVI & ORS. Appellant(s)

VERSUS

STATE OF U.P.& ORS. Respondent(s)

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
20/3/15
.........................2015
SUPREME COURT OF INDIA

WITH
Crl.A. No. 1330/2012
(With Office Report)

Date : 12/03/2015 This appeal was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE V. GOPALA GOWDA
HON'BLE MR. JUSTICE C. NAGAPPAN

For Appellant(s) Aroma S. Bhardwaj, Adv.
Mr. Shailendra Bhardwaj,Adv.

For Respondent(s) Mr. Vivek Vishnoi, Adv.
Mr. M. R. Shamshad,Adv.
Mr. Zaki Ahmad Khan, Adv.

Mr. Sanjay Mani Tripathi, Adv.
Mr. Kamal Kant Tripathi, Adv.
Ms. Anu Gupta,Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

The appeals are allowed in terms of the signed order.

(VINOD KR. JHA)
COURT MASTER

(MALA KUMARI SHARMA)
COURT MASTER

(Signed order is placed on the file)